web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 30 सितंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 05

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, तीन की मौत, दो की हालत गंभीर

सुल्तानपुर (आरएनएस)। त्रिसुंडी कस्बे के पास प्रतापगढ़ से जागरण करके ई-रिक्शा से वापस आ रहे कलाकारों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में तीन लोगो की घटना स्थल पर मौत हो गई है। वही सात लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें दो घायलों को गंभीर फ्रैक्चर आया है। जिला अस्पताल में उस समय कोहराम मच गया जब लगातार एंबुलेंस का यहां आना शुरू हुआ। रतनपुर के रहने वाले दस लोग झांकी करने प्रतापगढ़ गए थे। कार्यक्रम के बाद सुल्तानपुर वापस लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने ई-रिक्शा लिया यह ई-रिक्शा अयोध्या-प्रयागराज हाईवे स्थित त्रिसुंडी के पास पहुंचा तो एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पाते ही पुलिस ने नाकाबंदी करा दी और साथ ही मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। हादसे में राजेंद्र निषाद (19), राहुल निषाद (21) व अजय (28) की घटना स्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायलों की पहचान सुल्तानपुर निवासी रोहित निषाद, लल्लू निषाद, शुभम निषाद, राजवंत निषाद, राधा सोनी और अंबेडकरनगर निवासी विपिन के रूप में हुई है। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी सडक़ हादसे पर दु:ख जताया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य युद्धस्तर पर कराने व घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।

ऐप लोन मामला : चीनी संस्थाओं, पेमेंट गेटवे के खिलाफ ईडी की कार्यवाई, जब्त किए 9.82 करोड़ रुपए

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लोन आधारित ऐप घोटाले की जांच के तहत कुछ चीन-नियंत्रित संस्थाओं की तलाशी ली और 9.82 करोड़ रुपये जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक, ये अकाउंट कॉमिनेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई संस्थाओं द्वारा ऐप-आधारित टोकन 'एचपीजेड' और इसी तरह के अन्य दुरुपयोग से संबंधित जांच के संबंध में कार्रवाई की गई थी। ईडी ने कोहिमा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। अधिकारी ने कहा, एचपीजेड टोकन एक 'ऐप-आधारित टोकन' है, जिसमें उपयोगकर्ताओं से 'बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई बड़े लाभ का वादा किया गया था। इसमें सबसे पहले यूजर्स को अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए कहा जाता था।

कानपुर में एएनई का बढ़ रहा प्रकोप

कानपुर (आरएनएस)। कानपुर में एक्यूट नेक्रोटाइज़िंग इंसेफेलाइटिस (एएनई) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इस बीमारी को अनुबंधित किया और 30 से अधिक मेडिकल छात्र उच्च श्रेणी के बुखार से पीड़ित हैं, इनमें से सात में एएनई की पुष्टि हुई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहला मामला इस सप्ताह की शुरुआत में सामने आया था जब बाराबंकी के तीसरे वर्ष के छात्र को तेज बुखार और तेज सिरदर्द के साथ एलएलआर अस्पताल के आईसीयू में लाया गया था। मंगलवार को उसके एएनई से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा, मरीज बाद में कोमा में चला गया और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वहीं मंगलवार और बुधवार को 69 छात्रों के रक्त के नमूने लिए गए और उन्हें जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। एएनई और बुखार के प्रकोप ने चार दिनों के भीतर 20 से अधिक सूअरों के मृत पाए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर को अपनी चपेट में ले लिया।

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का आयोजन होगा 6 अक्टूबर से

- मितान क्लब से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न छह स्तरों में होंगे आयोजन, प्रत्येक स्तर के लिए होगा आयोजन समितियों का गठन
- दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारम्परिक खेल शामिल
- गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, लंगड़ी दौड़, बांटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा की प्रतियोगिता
- बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक तीन आयु वर्ग में होंगे प्रतिभागी, महिला व पुरूष के होंगे अलग वर्ग
- सीएम की पहल पर कैबिनेट में हुआ था छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक का फैसला

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने, उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढिया ओलम्पिक 2022-23 का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पूरी कार्ययोजना बना ली गई है, जिसे 23 सितम्बर 2022 को जारी कर दिया गया है। छह स्तरों में होने वाले छत्तीसगढिया ओलम्पिक के आयोजन का दायित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपा गया है। छत्तीसगढिया ओलम्पिक की शुरुआत राजीव युवा मितान क्लब स्तर से आगामी 6 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी, जिसका समापन विभिन्न छ: स्तरों में होते हुए अंतिम चरण राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री बघेल के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पारम्परिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई है। छत्तीसगढिया ओलम्पिक से प्रतिभागियों को एक ओर जहां मंच मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का विकास होगा। छत्तीसगढिया ओलम्पिक के आयोजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

दो श्रेणियों में 14 विधान के खेल होंगे- छत्तीसगढिया ओलम्पिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्ययोजना के अनुसार छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेल प्रतियोगिता दो श्रेणी में होंगे। इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय व एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढिया ओलम्पिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारम्परिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें दलीय श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी और बांटी (कंचा) जैसी खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लम्बी कूद शामिल हैं।

राजीव युवा मितान क्लब से लेकर राज्य स्तर तक छ: स्तरों पर होंगे आयोजन- छत्तीसगढिया ओलम्पिक में छह स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब में पारंपरिक खेलों का आयोजन नॉकआउट पद्धति से होगा। वहीं दूसरा स्तर जोन है, जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब होगा। फिर तीसरे स्तर पर विकासखंड/नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

इन तिथियों में होंगे चरणबद्ध विभिन्न स्तरों के आयोजन- छत्तीसगढिया ओलम्पिक में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक होंगे। वहीं जोन स्तर के आयोजन 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। विकासखंड स्तर पर खेल 27 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर 17 नवम्बर से 26 नवम्बर तक प्रतियोगिताएं होंगी। संभाग स्तर पर आयोजन 5 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के बीच होगा। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढिया ओलम्पिक का अंतिम चरण 28 दिसम्बर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा।

बच्चों से बुजुर्ग तक प्रत्येक आयु वर्ग ले सकेंगे हिस्सा- छत्तीसगढिया ओलम्पिक में आयु वर्ग को तीन वर्गों में बांटा गया है। इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18-40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे।

छत्तीसगढिया ओलम्पिक खेलों के लिए किए जाएंगे आयोजन समितियों का गठन- राजीव युवा मितान क्लब स्तर एवं जोन स्तर पर प्रत्येक के लिए अलग-अलग एवं विकासखण्ड/नगरीय क्लस्टर स्तर पर आयोजन समिति गठित किए जाएंगे। समिति गठन का आदेश संबंधित विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं जिला स्तर/संभाग स्तर पर आयोजन समिति गठन आदेश क्रमश: जिला कलेक्टर एवं संभागायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। अंतिम चरण राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आयोजन समिति का गठन किया जाएगा।

असम में बड़ा हादसा, ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से एक अधिकारी समेत कई लोग लापता

नई दिल्ली (आरएनएस)। असम के धुबरी जिले में गुरुवार को ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव के पलट जाने से कम से कम दस लोग लापता हैं। 29 यात्री देशी नाव पर सवार थे। यह नाव भशानी की ओर जा रही थी तभी धुबरी शहर से लगभग 3 किमी दूर अदाबारी में एक पुल की चौकी से टकरा गई। नाव पलट जाने से उसमें सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र तथा कई अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि नाव में लगभग सौ यात्री सवार थे और उस पर 10 मोटर साइकिल लादी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि नाव भाषानी जा रही थी और वह धुबरी से लगभग तीन किलोमीटर दूर अडबरी में एक पुल के खंबे से जा टकराई और पलट गई। अधिकारी ने कहा कि अब तक 15 लोगों को बचाया जा सका है। उन्होंने कहा कि नौका पर कई स्कूली बच्चे भी सवार थे और अब तक किसी का पता नहीं चल पाया है।

धुबरी सर्कल अधिकारी संजू दास तथा एक भूमि दस्तावेज अधिकारी और एक कार्यालय कर्मचारी भी नाव पर सवार थे और वे किसी इलाके में सर्वेक्षण करने जा रहे थे। दास का पता नहीं चल पाया है जबकि अन्य दो व्यक्ति तैर कर सुरक्षित बाहर आ गए। स्थानीय लोगों अपनी नाव से बचाव अभियान चलाया। गुवाहाटी के अन्य अधिकारी ने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल के तैराकों की भी मदद ली जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में आज एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार है। भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। गर्भपात के उद्देश्य से रेप में वैवाहिक रेप भी शामिल है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून और इससे संबंधित नियमों के बदलाव को लेकर यह फैसला सुनाया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एक अविवाहित महिला को अनचाहे गर्भ का शिकार होने देना मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि 2021 के संशोधन के बाद मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा-तीन में पति के बजाय पार्टनर शब्द का उपयोग किया गया है। यह अधिनियम में अविवाहित महिलाओं को कवर करने के लिए विधायी मंशा को दर्शाता है। साथ ही कोर्ट ने एम्स निदेशक को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा जो यह देखेगा कि गर्भपात से महिला के जीवन को कोई खतरा तो नहीं होगा।

दरअसल, एक महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम-3 बी को चुनौती दी थी, जो कि केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह अविवाहित महिला है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुचित प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

बता दें कि 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली अविवाहित मणिपुरी महिला की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि गर्भ सहमति से धारण किया गया है और यह स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी खंड में शामिल नहीं है। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उसके साथी ने उससे शादी करने से मना कर दिया है। इसमें आगे कहा गया कि अविवाहित तौर पर बच्चे को जन्म देने से उसका बहिष्कार होगा और साथ ही मानसिक पीड़ा भी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गयी थी।

8 घंटों में 2 धमाकों से दहला ऊधमपुर, आतंकी साजिश की आशंका

ऊधमपुर (आरएनएस)। जम्मू संभाग के ऊधमपुर में 8 घंटे के अंदर एक और बस में रहस्यमयी धमाका हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। पहला धमाका बीती रात 10.30 पर उधमपुर के दोमेल में हुआ तो दूसरा धमाका ऊधमपुर के मुख्य बस स्टैंड में हुआ। दोमेल में हुए धमाकों में बस के परखच्चे उड़ गए और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आज सुबह 5:40 के करीब उधमपुर के बस स्टैंड में दूसरा धमाका होता है गनीमत यह रही कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी घायल होने की जानकारी नहीं है। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

इससे पहले कल ऊधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में शक्तिशाली धमाका हुआ। धमाके से दो बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि दो लोग घायल हो गए।

प्रथम दृष्टया इसे आतंकी साजिश माना जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके को घेरकर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऊधमपुर में पुराने हाईवे पर टीसीपी दोमेल क्षेत्र में बैंगड़ा पेट्रोल पंप पर एक मिनी बस समेत छह बसें खड़ी थीं।

रोज की तरह बसंतगढ़ रूट की बस (जेके14डी-6857) शाम छह बजे खड़ी हुई थी और रात 10.30 बजे इस बस में जोरदार धमाका हुआ। बस और पास ही खड़ी मिनी बस (जेके14जी-5147) का एक हिस्सा भी चकनाचूर हो गया।

बस कंडक्टर सुनील सिंह और मिनी बस कंडक्टर विजय कुमार घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के आवासीय इलाकों में इमारतों में भी कंपन महसूस की गई। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के आला अफसरों ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की।

पेट्रोल पंप के ठीक सामने सेना की चौकी भी है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस आतंकी हमले के एंगल से इन्कार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी तक धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। वहीं, इससे कुछ घंटे पूर्व ही नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे पुंछ जिले में एक महिला को चार किलो आईईडी के साथ पकड़ा गया।

गृहमंत्री अमित शाह के तीन से पांच अक्तूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे आ रहे हैं। इससे पहले ऊधमपुर में धमाके होने से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

पूछताछ के लिए आरोपी महिला जैतून अख्तर और मोहम्मद रियाज नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है। पुंछ से सटे राजोरी जिले में गृह मंत्री की चार अक्तूबर को रैली है। इसे लेकर दोनों जिलों में सुरक्षा अमले को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

बताया जा रहा है कि एसओजी के खुफिया इनपुट पर महिला को पुंछ नगर के बीचो बीच स्थित परेड स्थित पार्क से बैग के साथ पकड़ा गया। आईईडी कहां से आई और कहां ले जाई जा रही थी, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री के दौरे से पूर्व शक्तिशाली विस्फोटक पकड़े जाने के पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है।

अब साल में सिर्फ 15 गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे ग्राहक, महीने का कोटा भी तय

नई दिल्ली । अब घरेलू रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर की संख्या ग्राहकों के लिए फिक्स हो गई है। नए नियम के मुताबिक, अब ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही खरीद सकेंगे। एक साल में किसी भी ग्राहक को 15 सिलेंडर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ महीने में दो सिलेंडर ही ले सकेंगे। ग्राहकों को 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेंगे। अभी तक सिलेंडर पाने के लिए महीने या साल का कोई कोटा तय नहीं था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के हिसाब से अब साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडरों की संख्या 12 होगी। इसके ज्यादा अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बाकी के सिलेंडर ग्राहकों को बिना सब्सिडी के ही खरीदने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। ये नियम लागू किए जा चुके हैं। खास बात यह है यह नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं, क्योंकि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि घरेलू गैर सब्सिडी की रीफिल कॉमर्शियल से सस्ती होने की वजह से वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था। जिसके कारण सिलेंडर पर राशनिंग की गई है।

टीआरपी घोटाला : ईडी ने रिपब्लिक टीवी को दी क्लीन चिट, 16 के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्नब आर. गोस्वामी के स्वामित्व वाले रिपब्लिक टीवी और आर. भारत अंग्रेजी और हिंदी समाचार चैनलों को 'क्लीन चिट' दे दिया है, लेकिन एजेंसी ने दो साल पहले हुए सनसनीखेज टीआरपी घोटाले में धन शोधन के आरोपों के चलते विभिन्न निजी टेलीविजन चैनलों और एक बाजार अनुसंधान समूह के 16 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ईडी का आरोप पत्र 26 सितंबर को सहायक निदेशक पवन कुमार की ओर से विशेष पीएमएलए कोर्ट मुंबई के समक्ष दायर किया गया था। धन शोधन की रोकथाम के तहत निर्धारित सभी आरोपियों की अनंतिम रूप से संलग्न संपत्तियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है, क्योंकि वे अपराध की आय से खरीदे गए थे।

जिन 16 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें 'फख्त मराठी' चैनल और उनकी कंपनी लोटस एंटरप्राइजेज के मालिक शिरीष वी पट्टनशेट्टी और मनीष आर संघ, 'बॉक्स सिनेमा' चैनल के मालिक नारायण एन शर्मा और उनकी कंपनी बॉक्स सिनेमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 'महामूवी' चैनल के मालिक विश्वजीत ओ शर्मा और दर्शन बी सिंह शामिल है।

इनके अलावा, सांच मीडिया के बोमपल्ली राव मिस्त्री, उमेश सी. मिश्रा, विशाल वी. भंडारी, दिनेश पी. विश्वकर्मा, विकास वी. बुरुंगले, अश्विन सी. मोतीवाले, महेश एस. बोम्पल्ली और राजेश के. विश्वकर्मा का भी नाम चार्जशीट में शामिल है।

ईडी ने विशेष अदालत से सभी आरोपी व्यक्तियों (गिरफ्तारी के लिए) के खिलाफ संज्ञान लेने और प्रक्रिया जारी करने, उनकी चल और अचल संपत्ति को जब्त करने, उनके पासपोर्ट जब्त करने आदि की कार्रवाई का आदेश देने के लिए आग्रह किया है।

गोस्वामी और उनके समाचार चैनलों को 'क्लीन चिट' देते हुए, ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी जांच को मुंबई पुलिस द्वारा शुरू में की गई जांच से अलग करार दिया। ईडी ने कहा कि मुंबई पुलिस जिसने पहली बार 2020 में घोटाले का पदार्फाश किया था, वह एक्विजरी रिस्क कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसमें बताया गया था कि टीआरपी गणना पद्धति के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई।

मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे और अन्य चैनलों को कथित तौर पर टीआरपी घोटाले में शामिल बताया था। जिसने देश के मीडिया उद्योग को हिलाकर रख दिया था। इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक हंगामा हुआ था। ईडी की चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी, आर. भारत चैनल, इसके एडिटर-इन-चीफ अर्नव गोस्वामी या उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया या बीएआरसी के किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं है।

ईडी की जांच में मुंबई और महाराष्ट्र के अलावा, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी टीआरपी घोटाले का पता चला है। जांच के लिए संबंधित राज्य पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे अब ट्रांसफर कर दिया गया है और दिल्ली की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) टीम द्वारा जांच की जा रही है।

ईडी ने कहा, एकत्र किए गए सबूतों से आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साबित होता है। उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया गया। मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल अनंतिम रूप से संलग्न संपत्तियों को पीएमएलए के अनुसार जब्त किया जा सकता है।